राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ4(ई) जे–85/2023/अलेसे–III/ 10496   दिनांक :– 02.01.2026

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव–नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम क0 लेखाकार	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/ परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	763703	सुश्री ज्योति	एम.ए. (प्रीवियस) (भूगोल) सत्र – 2025–26 (स्वयंपाठी)	पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावा

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

Signature valid
Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.0[illegible] IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

क्रमांक :– एफ4(ई) जे–85/2023/अलेसे–III/ 10496   दिनांक :– 02.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

RajKaj Ref No.:
19628368
eSign 1.0